



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126338

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 16784 वर्ष 2026

महताब आलम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : प्रीति यादव, रमेश चंद्र यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए., मनोज कुमार

न्यायालय संख्या - 5

माननीय संजीव कुमार, न्यायमूर्ति

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया। सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रीति यादव, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से पुलिस थाना कैंट, जिला गोरखपुर में मु.अ.सं. (मुकदमा अपराध संख्या) 554 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 318 (4), 338, 336 (3), 340 (2), 61 (2), 131, 115 (2), 352, 351 (3) और 132 के तहत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12.04.2026 से जेल में है। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया था, और उसका नाम तीन महीने से अधिक समय के बाद प्रथम सूचनाकर्ता के पूरक बयान में ही सामने आया। आवेदक को कथित अपराध के घटित होने में सह-आरोपी की सहायता करने की भूमिका सौंपी गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचनाकर्ता ने अन्य दो नामजद सह-आरोपियों, अर्थात्, अताउल्लाह और सफतुल्लाह खान के साथ समझौता कर लिया है। एक अन्य सह-आरोपी, बशीर अली को इस न्यायालय की एक समान अधिकारिता वाली पीठ द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 479 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2026 के माध्यम से पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक कथित अपराध का लाभार्थी नहीं है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।
6. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता, विद्वान ए.जी.ए. की परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार करते हुए और प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की विषयवस्तु को देखने के बाद, मेरा विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
7. उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक-महताब आलम को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसका वह आरोपी है, या जिसके घटित होने का उस पर संदेह है।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनबद्ध पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने का विकल्प खुला रहेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए (तदनुरूप बी.एन.एस. की धारा 269) के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (तदनुरूप बी.एन.एस. की धारा 84) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (तदनुरूप बी.एन.एस. की धारा 209) के तहत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले के खुलने, (2) आरोप तय होने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (तदनुरूप बी.एन.एस. की धारा 351) के तहत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

जून 9, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अमित

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।